न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 75/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. गोविन्द पि. रामनारायण जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. रामनारायण पि. रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
2. घनश्याम पि. रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
3. डालीबाई पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
4. देवीलाल पि. रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
5. सूडीबाई पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 92ए , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री अशोक पाटीदार

निर्णय **दिनांक :** 24/01/2023

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम ढाबली तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 92ए, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढाबली की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 94 की आराजी ख.नं. 290 रकबा 1.9349 हेक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी एवं उसकी माता का त्याग कर रखा है। वादी प्रतिवादी सं. 1 रामनारायण का पुत्र होने एवं आराजी हिन्दू अविभाजित परिवार की होने से वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा है जिसमें 1/2 अर्थात कुल का 1/10 हिस्सा का वादी सहखातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम ढाबली की [illegible] सं. 2074–77 के खाता सं. 94 की आराजी ख.नं. 290 रकबा [illegible] 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल का [illegible] का वादी को सहखाते[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:15:51 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 को रहन बेचान हस्तानान्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

वाद पत्र के साथ ग्राम ढाबली की नकल जमाबंदी खाता सं. 94 की प्रमाणित प्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्र्ड सम्मन तलब करने पर प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से साक्ष्य वादी में गोविन्द पि. रामनारायण, प्रभूलाल पि. नन्दराम के शपथपत्र/बयान कराये गये। दिनांक 11.01.2023 को रामनारायण प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्सा का वादी को खातेदार घोषित करने बाबत जवाब एडवोकेट श्री कालूराम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वाद पत्र, जवाब पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकील वादी द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम ढाबली की वादग्रस्त आराजियात शामलाती खाते की पुश्तैनी आराजी है जिसमें रामनारायण प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी प्रतिवादी सं. 1 रामनारायण का वारीस पुत्र है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधनो के तहत पुश्तैनी आराजी में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार कर ग्राम ढाबली की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 94 की आराजी ख.नं. 290 रकबा 1.9349 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल का 1/10 हिस्सा का वादी को सहखातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 75/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. गोविन्द पि. रामनारायण जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. रामनारायण पि. रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
2. घनश्याम पि. रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
3. डालीबाई पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
4. देवीलाल पि. रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
5. सूडीबाई पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 92ए , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री अशोक पाटीदार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद वादी स्वीकार कर ग्राम ढावली की जमावंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 94 की आराजी ख.नं. 290 रकबा 1.9349 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल का 1/10 हिस्सा का वादी को सहखातेदार घोषित किया जाता है। [illegible] दर्ज रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with CamScanner

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner